बिहार सरकार,
बिहार कौशल विकास मिशन,
श्रम संसाधन विभाग

आदेश

राज्य सरकार के 7 निश्चयों में एक "आर्थिक हल युवाओं को बल" के अन्तर्गत संचालित कुशल कार्यक्रम के संचालन हेतु राज्य के सभी प्रखण्डों में एक-एक प्रखण्ड स्तरीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण कराया गया है । इन प्रखण्ड स्तरीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में कुशल युवा कार्यक्रम के संचालन हेतु खुली निविदा के माध्यम से एर्जेसी के चयन हेतु विभिन्न चरणों में RFP No. BSDM/RFP/04/2016-17 दिनांक-13.8.2016, RFP No. BSDM/RFP/08/2016-17 दिनांक-9.9.2016, RFP No. BSDM/RFP/10/2016-17 दिनांक-22.10.2016 तथा RFP No. BSDM/RFP/03/2017-18 दिनांक-19.6.2017 देश के सभी प्रमुख समाचार पत्रों के साथ-साथ राज्य के सभी प्रमुख हिन्दी, अंग्रेजी तथा उर्दू समाचार पत्रों के सभी संस्करणों में प्रकाशित कराया गया तथा इसे बिहार कौशल विकास मिशन के Website- www.Skillmissionbihar.org पर भी Upload किया गया ।

RFP No. BSDM/RFP/08/2016-17 दिनांक-9.9.2016 के आधार पर एर्जेसी M/s Indus Integrated Information Management Ltd. को हायाघाट(दरभंगा), लौकाही(मधुबनी) तथा बोखरा(सीतामढ़ी) प्रखण्डों में स्थापित प्रखण्ड स्तरीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन का दायित्व सौंपते हुए उन्हें LOA संख्या- BSDM/RFP-40/2016-514 दिनांक-3. 10.2016 निर्गत किया गया ।

पुनः RFP No. BSDM/RFP/10/2016-17 दिनांक-22.10.2016 के आधार पर एर्जेसी M/s Indus Integrated Information Management Ltd. को बनमनखी(पूर्णियाँ), चिरैंया(पूर्वी चम्पारण), गौरावौराम(दरभंगा) तथा वारसलिगंज(नवादा) के प्रखण्ड स्तरीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन का दायित्व सौंपते हुए उन्हें LOA संख्या-BSDM/RFP-40/2016-629 दिनांक-18.11.2016 निर्गत किया गया । इसी प्रकार चौथे चरण के RFP No.BSDM/RFP/03/2017-18 दिनांक-19.6.2017 के आधार पर एर्जेसी को लखीसराय जिले के बड़हिया प्रखण्ड के प्रखण्ड स्तरीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन का दायित्व सौंपते हुए उन्हें LOA संख्या-BSDM/RFP-40/2016 Part-2- 582 दिनांक-4.8.2017 निर्गत किया गया ।

निर्गत LOA के आधार पर एर्जेसी M/s Indus Integrated Information Management Ltd. के द्वारा आवश्यक Performance guarantee की राशि जमा करते हुए बिहार कौशल विकास मिशन के साथ अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया, जिसके आधार पर अप्रैल तथा जून, 2017 के माह में द्वितीय एवं तृतीय चरण के Indus Integrated Information Management Ltd. के साथ संबद्ध कुल 7 प्रखण्ड स्तरीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों को प्रारम्भ करने का अनुमोदन दिया गया तथा इन केन्द्रों पर कुशल युवा कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्रारम्भ हुआ । यह भी उल्लेखनीय है कि एर्जेसी M/s Indus Integrated Information Management Ltd. के द्वारा वैशाली जिले में दो कौशल प्रशिक्षण केन्द्र SDC के रूप में भी स्थापित किये गये हैं जो वैशाली एवं लालगंज प्रखण्ड में अवस्थित हैं ।

एजेंसी M/s Indus Integrated Information Management Ltd. के द्वारा लखीसराय जिले के बड़हिया प्रखण्ड के कौशल प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की प्रक्रिया अभी प्रारम्भ हीं की गयी थी तबतक दिनांक–31.10.2017 को स्थानीय समाचार पत्रों में एक समाचार प्रकाशित हुआ, जिसमें बिहार महादलित विकास मिशन में दशरथ मांझी, कौशल विकास योजना में अनियमितता पाये जाने के आधार पर निगरानी विभाग के द्वारा Indus Integrated Information Management Ltd. तथा एक अन्य संगठन के विरूद्ध प्राथमिक दर्ज किये जाने का उल्लेख था । प्रकाशित समाचार में इन संगठनों के विरूद्ध बड़े पैमाने पर अनियमितता करते हुए राशि का गबन किये जाने का उल्लेख किया गया था ।

चूंकि निगरानी जाँच में Indus Integrated Information Management Ltd. के विरूद्ध गबन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी थी, अतः बिहार कौशल विकास मिशन के स्तर से भी इस संगठन के विरूद्ध कार्रवाई अपेक्षित होने के आधार पर इस संस्था के साथ संबद्ध सभी केन्द्रों पर प्रशिक्षणार्थियों के नामांकन को तत्काल प्रभाव से अवरूद्ध कर दिया गया तथा बिहार कौशल विकास मिशन के पत्र संख्या–880 दिनांक–2.11.2017 के द्वारा बिहार महादलित विकास मिशन से दायर किये गये प्राथमिकी की प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया ।

मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन के द्वारा अपने पत्र संख्या–1389 दिनांक–8.11.2017 के द्वारा इन दोनों संगठनों के विरूद्ध दायर प्राथमिकी संख्या–81/2017 दिनांक–23.10.2017 की प्रति उपलब्ध करायी गयी । प्राथमिकी की प्रति के अवलोकन से यह विदित हुआ कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा श्री शरद कुमार झा, निदेशक, IIIM Ltd. BE-103,Sector-1, Salt Lake City, Kolkata, शाखा कार्यालय लीलावती सेंटर, प्रथम तल, अल्पना मार्केट के नजदीक, बोरिंग रोड, पटना के विरूद्ध भा०द०वि० की धारा– 406/ 409/ 420/ 468/ 471/477ए तथा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम,1988 की धारा 13(2) सह पठित धारा–13(1)(डी) के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी है । प्राथमिकी की प्रति के अवलोकन से प्रथम दृष्टया इस संस्था के विरूद्ध अनियमितता किया जाना प्रतीत होता है । अतः इस संस्था के साथ संबद्ध सभी केन्द्रों पर नामांकन को अवरूद्ध करते हुए बिहार कौशल विकास मिशन के पत्र संख्या–BSDM/SDM-18/2017-28 दिनांक–9.1.2018 के द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया ।

पूछे गये स्पष्टीकरण के आलोक में श्री अमित कुमार, Assistant Vice President, Legal Indus Integrated Information Management Ltd. के द्वारा अपने पत्र संख्या–IIIM/17-18/151 दिनांक–12.01.2018 के द्वारा अपना स्पष्टीकरण सभी अनुलग्नकों सहित समर्पित किया गया । स्पष्टीकरण में उनके द्वारा दर्ज प्राथमिकी की विभिन्न कंडिकाओं पर अपना पक्ष रखने का प्रयास किया गया तथा यह कहा गया कि निगरानी विभाग के द्वारा दर्ज प्राथमिकी वास्तविकता से दूर है तथा

निगरानी विभाग के द्वारा महत्वपूर्ण तथ्यात्मक पहलुओं पर प्राथमिकी दर्ज करने के पूर्व विचार नहीं किया गया है । स्पष्टीकरण में यह भी कहा गया कि अभीतक निगरानी विभाग के द्वारा इस वाद में चार्ज सीट दायर नहीं किया गया है तथा सिर्फ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर किसी संस्था को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है । उनके द्वारा यह उल्लेख किया गया कि बिहार कौशल विकास मिशन में कुशल युवा कार्यक्रम के संचालन से संबंधित कोई शिकायत या कोई प्रतिकूल टिप्पणी उनकी संस्था के विरूद्ध दर्ज नहीं है, अतः इस संस्था को कुशल युवा कार्यक्रम के संचालन से वंचित नहीं किया जाये ।

यह तथ्यात्मक है कि कुशल युवा कार्यक्रम के संचालन में Indus Integrated Information Management System Ltd. के विरूद्ध बिहार कौशल विकास मिशन में कोई प्रतिकूल टिप्पणी या कोई परिवाद प्राप्त नहीं है, लेकिन यह भी तथ्यात्मक है कि इस संस्था के विरूद्ध राज्य सरकार के एक विभाग में प्रथम दृष्टया बड़े पैमाने पर अनियमितता किये जाने के आरोप में निगरानी विभाग के द्वारा जाँचोपरान्त प्राथमिकी दर्ज की गयी है । अतः जबतक निगरानी के द्वारा दायर वाद का निष्पादन नहीं होता है, तबतक ऐसी संस्था से कौशल प्रशिक्षण से संबंधित किसी अन्य कार्यक्रम का संचालन कराया जाना भी विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है । दर्ज प्राथमिकी के विभिन्न कंडिकाओं पर एजेंसी के द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण की समीक्षा किये जाने हेतु भी बिहार कौशल विकास मिशन सक्षम प्राधिकार नहीं है । यह तथ्यात्मक है कि संस्था के विरूद्ध निगरानी विभाग के द्वारा अनियमितता किये जाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज है तथा जबतक किसी सक्षम न्यायालय से संस्था को दोषमुक्त नहीं किया जाता है, तबतक बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा इन्हें दोषमुक्त माना जाना विधिसम्मत नहीं है।

अतः एजेंसी मेसर्स Indus Integrated Information Management System Ltd. से प्राप्त स्पष्टीकरण को अस्वीकृत किया जाता है तथा एजेंसी के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध को रद्द करते हुए संस्था के लिए निर्गत LOA को निरस्त किया जाता है। एजेंसी के साथ संबद्ध दो SDC, लालगंज(वैशाली) एवं वैशाली(वैशाली) प्रखण्डों के लिए पंजीकृत कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों के पंजीयन को भी रद्द किया जाता है। साथ ही जबतक इस वाद का निष्पादन सक्षम न्यायालय से नहीं हो जाता है, तबतक संस्था Indus Integrated Information Management System को बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा प्रकाशित किसी भी RFP/EOI/Tender में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाता है । एजेंसी मेसर्स Indus Integrated Information Management System Ltd. को आदेश दिया जाता है किवे सभी 7 प्रखण्ड स्तरीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में अपने द्वारा लगाये गये उपकरणों को हटाते हुए अगले एक सप्ताह के अंदर सभी 7 प्रखण्ड स्तरीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्र के भवनों का प्रभार संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को राज्य सरकार के द्वारा अधिष्ठापित उपकरण एवं उपस्करों के साथ सौंप दें । उन्हें यह भी आदेश दिया जाता है कि वे दिनांक–31 मार्च, 2018 तक इन भवनों के विद्युत विपत्र के भुगतान संबंधी साक्ष्य बिहार कौशल विकास मिशन के वित्त प्रशाखा में समर्पित करना सुनिश्चित करें । वित्त प्रशाखा, बिहार कौशल विकास मिशन को आदेश दिया जाता है कि वे एजेंसी के द्वारा निष्पादित प्रशिक्षण हेतु प्राप्त विपत्रों की जाँच करते हुए इनके

सभी प्रकार के लंबित भुगतान को नियमानुकूल विद्युत विपत्र के भुगतान संबंधी साक्ष्य प्राप्त होने के एक सप्ताह के अंदर करना सुनिश्चित करेंगें ।

ह0/-

(दीपक कुमार सिंह)
प्रधान सचिव-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन ।

ज्ञापांक-BSDM/SDM-18/2016-416 पटना,दिनांक-04-04-2018

प्रतिलिपि- M/s Indus Integrated Information Management System Ltd. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव / सभी आयुक्त, बिहार/ सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । जिला पदाधिकारी, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्णियाँ, पूर्वी चम्पारण, नवादा तथा लखीसराय को आदेश दिया जाता है कि वे हायाघाट, गौरावौराम, लौकाही, बोखरा, बनमनखी, चिरैंया, वारसलीगंज तथा बड़हिया प्रखण्डों के प्रखण्ड स्तरीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों के भवन का प्रभार सभी बेंच, डेस्क तथा बोरिंग के मोटर के साथ संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को दिलाने की कृपा करेंगे ।

(3) मिशन निदेशक/ प्रशासी पदाधिकारी/ मिशन प्रबंधक, कार्यक्रम क्रियान्वयन/ मिशन प्रबंधक, वित्त, बिहार कौशल विकास मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(4) Project Director, MKCL/ Project Director, SPMU(E&Y) / श्री रत्नदीप सिंह, प्रबंधक,MIS & M&D को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को बिहार कौशल विकास मिशन के Web portal पर Upload करना/कराना सुनिश्चित करें ।

4/4/18

प्रधान सचिव-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
बिहार कौशल विकास मिशन ।